


गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की आपात बैठक दिनांक 25.11.2021 का कार्यवृत्त

विद्यापरिषद् की आपात बैठक दिनांक 25.11.2021 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

01.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
03.	प्रो० एस.एस. सिंह	सदस्य
04.	प्रो० एल.व्ही.के.एस. भास्कर	सदस्य
05.	प्रो० जी.के. पात्रा	सदस्य
06.	प्रो० डी.एन. सिंह	सदस्य
07.	प्रो० मनीष श्रीवास्तव	सदस्य
08.	प्रो० टी.व्ही. अर्जुनन	सदस्य
09.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
10.	प्रो० बी.एन. तिवारी	सदस्य
11.	डॉ० गोपा बागची	सदस्य
12.	डॉ० नीलकांत पानीग्रही	सदस्य
13.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
14.	डॉ० रेणु भट्ट	सदस्य
15.	प्रो० ए.के. सक्सेना	सदस्य
16.	डॉ० डॉ. के.के. चंद्रा	सदस्य
17.	डॉ० पी.पी. मूर्ती	सदस्य
18.	डॉ० पुष्पराज सिंह	सदस्य
19.	डॉ० बी.डी. मिश्रा	सदस्य
20.	प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
21.	डॉ० संजीत कुमार	सदस्य
22.	प्रो० अनुपमा सक्सेना	सदस्य
23.	डॉ० सुशील कुमार शाहिल	सदस्य
24.	डॉ० ए.के. चंद्राकर	सदस्य
25.	डॉ० आलोक कुमार कुशवाहा	सदस्य
26.	डॉ० रोहित राजा	सदस्य
27.	प्रो० एस.सी. श्रीवास्तव	सदस्य
28.	डॉ० एम. चक्रधर राव	सदस्य
29.	प्रो० हरीश कुमार	सदस्य
30.	प्रो० प्रदीप शुक्ला	सदस्य
31.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
32.	प्रो० प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
33.	डॉ० पारिजात ठाकुर	सदस्य
34.	डॉ० आर.के. चौबे	सदस्य
35.	डॉ० अरुण कुमार सिंह	सदस्य
36.	डॉ० सोमा दास	सदस्य
37.	डॉ० एस.एस. धुरिया	सदस्य


25/11/2021


25-11-21

38.	डॉ० एस.के. प्रजापति	सदस्य
39.	श्री दिलिप झा	सदस्य
40.	डॉ० विकास कुमार पाण्डेय	सदस्य
41.	डॉ० डॉ० राघवेन्द्र सिंह ठाकुर	सदस्य
42.	डॉ० बी.आर. रावटे	सदस्य
43.	डॉ० ए.के. शर्मा, ग्रंथपाल	सदस्य
44.	डॉ० एम.एन. त्रिपाठी, अधिष्ठाता छात्रकल्याण	सदस्य
45.	डॉ० संजीत सरदार	सदस्य
46.	डॉ० व्ही.व्ही.एस.के. दादी	सदस्य
47.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव(कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं थे :-

01. प्रो० व्ही.एस. राठौर
02. डॉ० ब्रजेश तिवारी
03. प्रो० व्ही.डी. रंगारी
04. प्रो० एस.एन. साहा

बैठक के प्रारंभ में कुलपति/अध्यक्ष विद्यापरिषद् ने विद्यापरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास में विद्यापरिषद् की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की एवं सदस्यों से आह्वान किया कि विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर स्थान दिलाने के लिए विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर कार्य करेंगे।

इसके पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से विषय वस्तु पर चर्चा प्रारम्भ हुई, जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.-01 विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 27.08.2021 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 27.08.2021 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

विषय क्र.-02 विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 27.08.2021 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 27.08.2021 के पालन प्रतिवेदन से अवगत हुए एवं सूचना ग्रहण की।

विषय क्र.-03 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.09.2021, 14.09.2021 एवं 01.10.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.09.2021, 14.09.2021 एवं 01.10.2021 के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया गया।

विषय क्र.-04 अध्यादेश क्रमांक-80 "The Alumani Association" के अनुमोदन के संबंध में।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अध्यादेश क्रमांक-80 "The Alumani Association" का अनुमोदन निम्नानुसार संशोधन के साथ किया जाय :-


25/11/21


25/11/2021

प्रस्तावित अध्यादेश के पैरा V(b) को निम्नानुसार पढ़ा जाय—

Any former student, members of the staff or ex-member of the staff who have participated in any program of the University who..... in clause V(b).

विषय क्र.—05

सचिव, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आयोजित बैठक दिनांक 21.10.2021 के कार्यवृत्त के संबंध में।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सचिव, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आयोजित बैठक दिनांक 21.10.2021 में लिये गये निर्णयों को अंगीकृत किया जाय।

विषय क्र.—06

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के नौवें दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के उपाधियों का वितरण किये जाने पर विचार।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 के उपाधियों के वितरण हेतु नौवें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाय।

विद्यापरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि नौवें दीक्षांत समारोह में आठवें दीक्षांत समारोह में वितरित शोध उपाधियों के बाद पात्र पाये गये शोधार्थियों को एवं तब से लेकर दिनांक 31.12.2021 तक शोध उपाधि हेतु पात्र पाये गये शोधार्थियों को शोध उपाधि प्रदान की जाय।

विद्यापरिषद ने यह और भी निर्णय लिया कि नौवें दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु संभावित तिथि 15 जनवरी है तथापि आयोजन तिथि के निर्धारण हेतु कुलपति महोदय विद्यापरिषद की ओर से अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र.—07

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम क्रमांक-13 की कंडिका (1)(ix) के प्रावधानानुसार विद्यापरिषद् द्वारा शैक्षणिक प्रगति एवं विकास का विशेष ज्ञान रखने वाले 5 व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, के सहयोजन पर विचार करना।


विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009, परिनियम क्रमांक-13 की कंडिका (1)(ix) के प्रावधानानुसार विद्यापरिषद् की ओर से विद्यापरिषद में 5 व्यक्तियों के सहयोजन हेतु कुलपति/अध्यक्ष विद्यापरिषद को अधिकृत किया जाता है।

विषय क्र.—08

विद्यापरिषद की स्थायी समिति में विद्यापरिषद द्वारा अपने सदस्यों में से 04 सदस्यों के नामित किये जाने पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की ओर से विद्यापरिषद की स्थायी समिति में 4 सदस्यों के नामांकन हेतु कुलपति/अध्यक्ष विद्यापरिषद को अधिकृत किया जाता है।


25/11/21


25/11/2021

विषय क्र.-09

एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) प्रौद्योगिकी केंद्र, दुर्ग (भारत सरकार का एक समाज, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) के साथ समझौता ज्ञापन के लिए मसौदा प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) प्रौद्योगिकी केंद्र, दुर्ग (भारत सरकार का एक समाज, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।

विषय क्र.-10

सिपेट, रायपुर के साथ समझौता ज्ञापन का मसौदा प्रस्ताव।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सिपेट, रायपुर एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।

विषय क्र.-11

स्मार्ट ब्रिज एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन का मसौदा प्रस्ताव। लिमिटेड, हैदराबाद।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि स्मार्ट ब्रिज एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।

विषय क्र.-12


बी इनक्यूब-इनक्यूबेशन सेंटर, बिलासपुर के साथ समझौता ज्ञापन का मसौदा प्रस्ताव।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि बी इनक्यूब-इनक्यूबेशन सेंटर, बिलासपुर एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।

विषय क्र.-13

ए2 पर्यावरण, रायपुर के साथ समझौता ज्ञापन का मसौदा प्रस्ताव।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि बी ए2 पर्यावरण, रायपुर एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।


25/11/21


25/11/2021

विषय क्र.-14

वाणिज्य विभाग द्वारा मूल्य वर्धित सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्यापीठ के अंतर्गत संचालित वाणिज्य विभाग द्वारा निम्नलिखित 07 मूल्य वर्धित सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

Sr. No.	Name of the Value added Course	No. of Seats
1.	Certificate Course on Digital Marketing	30
2.	Certificate Course on Income Tax Return & e-filing	30
3.	Certificate Course on GST (Goods & Service Tax)	30
4.	Certificate Course on E-Tax Consultant	30
5.	Certificate Course on Life Skills & Communication	30
6.	Certificate Course on Microsoft office	30
7.	Certificate Course on Sustainable Development & Environmental Management	30

विद्यापरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त पाठ्यक्रमों को मूल्य वर्धित पाठ्यक्रमों हेतु बनाये जाने वाले प्रावधानों/अध्यादेशों के अंतर्गत शामिल करते हुए विद्यार्थियों का अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान किया जाय।

विषय क्र.-15

प्रौद्योगिकी संस्थान, फार्मसी एवं विधि विभागों में संचालित पृथक-पृथक पुस्तकालयों को केन्द्रीय ग्रंथालय के साथ विलय किये जाने पर विचार करना।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावानुसार फॉर्मसी विभाग, प्रौद्योगिकी संस्थान एवं विधि विभाग के ग्रंथालयों का केन्द्रीय ग्रंथालय में विलय कर दिया जाय।

विद्यापरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि विधि विभाग BCI के प्रावधानानुसार विभागीय पुस्तकालय का रिकार्ड संधारित करें।

विषय क्र.-16


विभागीय शोध समिति की अनुशंसानुसार श्रीमती मीनाक्षी जायसवाल, सहायक प्राध्यापक, फार्मसी विभाग को VRET Exempted श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत किये जाने तथा कोर्स वर्क से छूट प्रदान किये जाने पर विचार करना।


विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि श्रीमती मीनाक्षी जायसवाल को विश्वविद्यालय में प्रभावी शोध विनियम 2018 के प्रावधानों के अधीन शोध कार्य करने एवं शोध उपाधि पाठ्यक्रम में शामिल होने हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

विषय क्र.-17

श्री ए. श्रीराम के संबंध में वाणिज्य विभाग से प्राप्त कार्यवृत्त पर विचार।

विद्यापरिषद के समक्ष वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो० ए.के. मिश्रा ने यह जानकारी दी कि श्री ए. श्रीराम ने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के शोध उपाधि पाठ्यक्रम में शामिल न होने संबंधी आवेदन विभाग में प्रस्तुत किया है, अतः विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव को अमान्य किया जाय।


25/11/21


25/11/2021

विषय क्र.-18

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (आई.टी.) से एम.टेक. (नियमित 02 वर्ष) करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय बाबत।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि इस विषय तथा अन्य सुसंगत विषय पर नीति निर्धारित करने हेतु यथोचित प्रस्ताव प्राप्त करने समिति गठित की जाय।

विद्यापरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि समिति के सदस्य नामित करने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र.-19

कैरियर परामर्श और विकास प्रकोष्ठ (Career Counselling and Development Cell) बनाये जाने के संबंध में विचार करना।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र.-20

अध्ययन मण्डल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बैठक दिनांक 30.09.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बैठक दिनांक 30.09.2021 की अनुशंसा का अनुमोदन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।

विषय क्र.-21

अध्ययन मण्डल संगणक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की बैठक दिनांक 01.10.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल संगणक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की बैठक दिनांक 01.10.2021 की अनुशंसा का अनुमोदन किया जाय।


यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।


विषय क्र.-22

अध्ययन मण्डल सिविल इंजीनियरिंग की बैठक दिनांक 03.10.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।


विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल सिविल इंजीनियरिंग की बैठक दिनांक 03.10.2021 की अनुशंसा का अनुमोदन किया जाय।


यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।


25-11-21


25/11/2021

- विषय क्र.-23 अध्ययन मण्डल समाजकार्य विभाग की बैठक दिनांक 06.09.2021 में अनुशंसित प्री-पीएच.डी. पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार करना।
विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत पाठ्यक्रम पुनर्विचार हेतु अध्ययन मण्डल समाज कार्य विभाग को लौटा दिया जाय।
- विषय क्र.-24 एम.टेक अध्यादेश (CBCS) का प्रारूपित पर विचार बाबत।
विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत अध्यादेश प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।
- विषय क्र.-25 पी.जी.डी.सी.एल (डिप्लोमा) तथा सी.सी.सी.एल. (सर्टिफिकेट) कोर्स हेतु प्रसारित किये गये अध्यादेश क्रमांक-81 एवं क्रमांक-82 की कार्योत्तर अनुमोदन पर विचार करना।
विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किया जाय।
- विषय क्र.-26 एम.ए., एम.एससी., एम.कॉम तथा एम.एस.डब्ल्यू पाठ्यक्रम हेतु प्रसारित किये गये अध्यादेश क्रमांक-77, 78, 79 एवं क्रमांक-83 के कार्योत्तर अनुमोदन पर विचार करना।
विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किया जाय।
- विषय क्र.-27 विद्यापीठ इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी के अधीन संचालित एम.टेक कोर्स I, II एवं III, IV सेमेस्टर के लिये प्रस्तावित अकादमिक कैलण्डर सत्र 2021-22 पर विचार।
बैठक के दौरान अधिष्ठाता अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के द्वारा एम.टेक. के तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर हेतु संशोधित अकादमिक कैलण्डर प्रस्तुत किया। अतः विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि एम.टेक. पाठ्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर हेतु प्रस्तावित अकादमिक कैलण्डर एवं विद्यापरिषद के समक्ष प्रस्तुत तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के संशोधित अकादमिक कैलण्डर का अनुमोदन किया जाय।
- विषय क्र.-28 विश्वविद्यालय में संचालित कोर्स-पी.जी. डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स कम्प्युटेशनल लिंगविस्टिक में प्रवेश हेतु पुनः विज्ञापन करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।
विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।
विद्यापरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित शुल्क संरचना पर विभाग द्वारा पुनर्विचार किया जाय एवं यथोचित शुल्क संरचना का निर्धारण किया जाय।


25/11/21


25/11/2021

विषय क्र.-29

अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 01.11.2021 के कार्यवृत्त पर विचार।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 01.11.2021 में की गई अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र.-30

अध्ययन मण्डल केमिकल इंजीनियरिंग की बैठक दिनांक 01.10.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल केमिकल इंजीनियरिंग की बैठक दिनांक 01.10.2021 की अनुशंसा का अनुमोदन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।

विषय क्र.-31

अध्ययन मण्डल इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग की बैठक दिनांक 30.09.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग की बैठक दिनांक 30.09.2021 की अनुशंसा का अनुमोदन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।

विषय क्र.-32

अध्ययन मण्डल ग्रामीण प्रौद्योगिकी की बैठक दिनांक 01.11.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल ग्रामीण प्रौद्योगिकी की बैठक दिनांक 01.11.2021 की अनुशंसा का अनुमोदन किया जाय।


यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।


विषय क्र.-33

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में सेवारत श्री सूरज कुमार मेहर उप-कुलसचिव (कुलपति के निज सचिव), श्री अन्नुलाल महतो, सहायक वर्कशॉप अधीक्षक द्वारा पीएच.डी. करने हेतु तथा श्री नरेन्द्र कुमार, प्रयोगशाला सहायक के द्वारा एम.टेक (इलेक्ट्रिकल एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग) प्रायोजन उम्मीदवार (स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट) के अध्ययन करने हेतु मांगी गई अनुमति पर विचार करना।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि इस विषय तथा अन्य सुसंगत विषय पर नीति निर्धारित करने हेतु यथोचित प्रस्ताव प्राप्त करने समिति गठित की जाय।

विद्यापरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि समिति के सदस्य नामित करने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।


25/11/21


25/11/2021

लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, बिलासपुर (छ.ग.) के साथ समझौता ज्ञापन का मसौदा प्रस्ताव पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, बिलासपुर एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।

पूरक कार्यसूची

पूरक वि.क्र. 01.

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (EDII), अहमदाबाद के बीच समझौता ज्ञापन।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (EDII), अहमदाबाद एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।

पूरक वि.क्र. 02.

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर), लखनऊ, भारत के बीच समझौता ज्ञापन।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर), लखनऊ, भारत एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।

पूरक वि.क्र. 03.


फार्मसी विभाग और एस.एम.बी.टी. फार्मसी कॉलेज, नासिक के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।


विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि फार्मसी विभाग और एस.एम.बी.टी. फार्मसी कॉलेज, नासिक के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।

पूरक वि.क्र. 04.

फार्मसी विभाग और एंक्रोम एंटरप्राइजेज (आई) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि फार्मसी विभाग और एंक्रोम एंटरप्राइजेज (आई) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।


25/11/24


25/11/2024

- पूरक वि.क्र. 05. आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ समिति की बैठक दिनांक 01.11.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।
विद्यापरिषद ने प्रस्तुत आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ समिति की बैठक दिनांक 01.11.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।
- पूरक वि.क्र. 06. श्रीमती आकांक्षा गुप्ता, सहायक आचार्य, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पीएच.डी. VRET 2021 नॉन एक्जम्प्टेड कैटेगिरी से प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार करना।
विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव को अमान्य किया जाय।
- पूरक वि.क्र. 07. 2019-20, 2020-21 के दौरान सीएस के तहत संकाय सदस्यों की पदोन्नति के लिए 360° फीडबैक हेतु अंक निर्धारण के संबंध में।
विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर एआईसीटीई से अभिमत/निर्देश प्राप्त किया जाय। एआईसीटीई से अभिमत/निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त विषय पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।
- पूरक वि.क्र. 08. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और छात्र कल्याण न्यास छत्तीसगढ़ के बीच समझौता ज्ञापन।
विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और छात्र कल्याण न्यास छत्तीसगढ़ के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।
- पूरक वि.क्र. 09. कला विद्यापीठ के अंतर्गत महिमा गुरुपीठ की स्थापना हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना।
विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।
विद्यापरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि कला विद्यापीठ के अंतर्गत महिमा गुरुपीठ की स्थापना हेतु यथोचित अनुमोदन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त कर लिया जाय।
- पूरक वि.क्र. 10. राष्ट्रीय ध्वजारोहण के स्थान को "प्रशासनिक भवन के पिछले भाग" से "प्रशासनिक भवन के निकट स्थित खुले मंच" में स्थानांतरित करना।
विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।



25/11/21



25/11/2021

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.वि.क्र. 01.

इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजिनियरिंग विभाग में एम.टेक. (सत्र 2021-22) हेतु न्यूनतम छात्र संख्या पर विचार संबंधी।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि निवर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए छात्र संख्या कम होने पर भी उक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

अ.वि.क्र. 02.

अध्ययन मण्डल वनस्पति विज्ञान विभाग के द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना पर विचार।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि वनस्पति विभाग के अध्ययन मण्डल द्वारा बैठक दिनांक 29.10.2021 के माध्यम से प्रस्तावित अंक योजना एवं पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।


अ.वि.क्र. 03.


अध्ययन मण्डल संगणक विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना पर विचार।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि संगणक विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अध्ययन मण्डल के द्वारा बैठक दिनांक 01.11.2021 के माध्यम से प्रस्तावित अंक योजना एवं पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक के अंत में, कुलसचिव/सचिव ने बैठक में उपस्थित सदस्यों तथा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।


(प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल)
25/11/2021
कुलपति/अध्यक्ष


(प्रो० शैलेन्द्र कुमार)
25/11/2021
कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव